कार्यालय, उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, पलामू (जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना।

पलामू जिला में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में ''वस्त्र वितरण कार्यक्रम'' के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों यथा निर्धन, अपंग, विधवा, भूमिहीन, निःसहाय, वृद्ध, वृद्धा एवं भिक्षुकों के बीच मुफ्त कम्बल वितरण हेतु कम्बल का क्रय किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत् है।

सामग्री का नाम	साईज	वजन	दर	अभ्युक्ति
ऊनी कम्बल	90" X 60"	न्यूनतम 2.800 कि०ग्रा०	प्रति अदद	सभी कम्बलों में ''झारखण्ड सरकार, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग'' का लोगो (Logo) लगाना अनिवार्य है।

उपर्युक्त विवरणीनुसार अधिकृत निर्माता/निबंधित(**Registered**)संस्थाओं/आपूर्तिकर्त्ताओं/विक्रेताओं के निविदा मुहर बन्द लिफाफे में दिनांक 28.11.2016 को 12.00 बजे अपराह्न तक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पलामू, में प्राप्त किये जायेंगे तथा उसी दिन दिनांक 28.11.2016 को 3.00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी। निविदा का 'तकनीकि बिड' एवं 'वित्तीय बिड' लिफाफे पर अंकित कर अलग–अलग लिफाफ में मुहरबंद होना चाहिए। तकनीकि बिड में अहर्त्ता प्राप्त (Qualify) करने वाले निविदादाता का ही वित्तीय बिड खोला जायेगा। उक्त अवसर पर निविदा दाता स्वयं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, कम्बल के नमूने के साथ उपस्थित रहेंगे।

(क) तकनीकि बिड :–

1. निविदादाता को निविदा के साथ 1,00,000=00 (एक लाख) रूपये की जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट, जो उपायुक्त, पलामू के पदनाम से डालटनगंज में भुगतेय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता द्वारा वाणिज्यकर विभाग से निबंधन में, ''कम्बल बिक्री हेतु प्राधिकृत'' होने के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. अद्यतन वाणिज्यकर के सफाई प्रमाण पत्र (Clearance Certificate) की छायाप्रति निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की छायाप्रति निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ख) वित्तीय बिड :–

1. निविदादाता द्वारा निविदा में उक्त Specification के अनुरूप कम्बल के नमूने तथा सभी कर (Tax) सम्मिलित करते हुए प्रति कम्बल का शुद्ध दर (Net Price) अंकित करना अनिवार्य होगा।

(ग) निविदा के नियम एवं शर्तें :–

1. निविदादाता को पूर्व में काली सूची में नहीं डाला गया है, इसका शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को वित्तीय बिड में एक ही कम्बल की विवरणी एवं नमूना प्रस्तुत करना होगा। एक से अधिक कम्बल की विवरणी एवं नमूना मान्य नहीं होगा। बिना नमूना के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. सफल निविदादाता को तीन दिनों के अन्दर क्रय समिति द्वारा स्वीकृत नमूने के अनुरूप 25 कम्बल (प्रखण्ड/नगर पर्षद को नमूना उपलब्ध कराने हेतु) जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पलामू को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4. सफल निविदादाता को 10 दिनों के अन्दर पलामू जिला के सभी प्रखण्डों/नगर पर्षद में जिला द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा क्रय समिति द्वारा स्वीकृत नमूने के अनुरूप कम्बल आपूर्ति करना होगा तथा सम्बंधित पदाधिकारी/कार्यालय से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पलामू को समर्पित करना होगा। इसके लिये किसी प्रकार का भाड़ा या परिवहन व्यय अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. आपूर्ति किया गया कम्बल निविदा में प्रस्तुत एवं जिला क्रय समिति द्वारा स्वीकृत नमूना के अनुरूप होना चाहिए। आपूर्तित कम्बल में यदि किसी तरह की भिन्नता पायी गयी तो आपूर्तिकर्त्ता पर नियमसंगत/विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही उनके फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
6. एक अथवा एक से अधिक निविदा दाता के बीच कार्यादेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
7. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

17/11/16

उपायुक्त, पलामू।

17/11/16